

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1108]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 4, 2010/ज्येष्ठ 14, 1932

No. 1108]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 4, 2010/JYAISTHA 14, 1932

दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 4 जून, 2010

New Delhi, the 4th June, 2010

**विषय—दिल्ली मुख्य योजना-2021 के अनुसरण में होटलों के अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुपात ( एफ.ए.आर. ) प्रभारों का निर्धारण करना ।**

**Sub. :—Fixation of additional FAR charges to hotels pursuant to MPD-2021**

का.आ. 1323(अ).—दि.मु.यो. 2021 के अस्तित्व में आने से होटलों के बढ़े हुए तल क्षेत्रफल अनुपात ( एफ.ए.आर. ) के लिए प्रभारों का निर्धारण सं. का.आ. 2433(अ) दिनांक 10-10-2008 और सं. का.आ. 567(अ), दिनांक 27-2-2009 द्वारा वर्ष 2007-08 के लिए अधिसूचित किया गया था, जिसे आगे सं. का.आ. 2906(अ) दिनांक 17-11-2009 द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए बढ़ा दिया गया था । अब केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संशोधन करता है :—

**S.O. 1323(E).**—The fixation of charges for enhanced FAR to hotels arising out of MPD-2021 were notified for the year 2007-08 vide No. S.O. 2433(E) dated 10-10-2008 and No. S.O. 567(E) dated 27-2-2009, which were further extended for the year 2008-09 vide No. S.O. 2906(E) dated 17-11-2009. Now with the prior approval of the Central Government, Delhi Development Authority, in exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), makes the following modifications :—

- (i) होटलों को अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुपात ( एफ.ए.आर. ) प्रदान करने के लिए प्रभारों का निर्धारण/भुगतान के संबंध में अतिरिक्त कमरों को पूरा करने की विद्यमान तिथि 31-7-2010 से बढ़ा कर 31-8-2010 करना, और
- (ii) होटलों के वर्गीकरण हेतु समयावधि विद्यमान तिथि 31-8-2010 से बढ़ा कर 30-9-2010 करना ।

- (i) for extension of date of completion of additional rooms from the existing 31-7-2010 to 31-8-2010 with regard to fixation/payment of charges for grant of additional FAR to hotels, and
- (ii) for extension of time period for classification for the hotel from the existing 31-8-2010 to 30-9-2010.

[फा. सं. एफ. 20(4)2005/एम.पी./पार्ट-1ए]

[F. No. F. 20(4)2005/MP/Pt-1A]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

V. M. BANSAL, Principal Commr.-cum-Secy.